राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

दिनांक 25.1.2005 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, प्रशासनिक कार्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थेः–

1.	प्रो0 परमात्मा सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री श्रीमत पांडे (संभागीय आयुक्त बीकानेर प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा)	सदस्य
3.	श्री विक्रम आदित्य आहूजा	" "
4.	श्री मनोहर लाल बिश्नोई	" "
5.	डॉ0 जी. डी.. सिंह	" "
6.	डॉ0 ए0के0 गहलोत	" "
7.	डॉ0 डी. जी. धन्धर	" "
8.	डॉ0 हनुमान प्रसाद	" "
9.	डॉ0 एस. जे. सिंह	" "
10.	श्री एम0 डी0 देथा	सदस्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव कृषि उत्पादन, पशुपालन सचिव, निदेशक कृषि, डॉ0 आर. पी. सिंह, डॉ0 एल. एल. शर्मा, श्री रामप्रताप कासनिया, विधायक, डॉ0 मधु गोयल, तथा डॉ0 अर्चना राज सिंह, ने बैठक में भाग नहीं लिया।

बैठक के प्रारंभ में कुलपति ने डा0आर.एन.गोस्वामी व डा0 प्राण मेहरोत्रा द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की तथा डॉ0 हनुमान प्रसाद व डॉ0 एस.जे. सिंह के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया । साथ ही श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में पधारें श्रीमान् संभागीय आयुक्त बीकानेर का स्वागत किया । सदस्यों को आसन द्वारा नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई ।

राकृवि / बोम–59 / 2005–1 / 960	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 16.10.2004 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए।**
राकृवि / बोम–59 / 2005–1 / 961	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 16.10.2004 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत । **विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा के पत्रांक प. 2(12)कृषि / 2 / 2004 दिनॉक 17.11.04 तथा प. 2(12)कृषि–2 / 2004 दिनॉक 10.1.05 के संदर्भ में विस्तृत विचार विमर्श पश्चात पारित (Resolved) किया गया कि बैठक दिनांक 16.10.04 के प्रस्ताव सं0 AU/BOM-58/2004-3/952 में पारित प्रस्ताव की पुष्टि की जाए । आगे यह पारित (Resolved) किया गया कि कार्यवाही विवरण के शेष बिन्दूओं पर की गई कार्यवाही को (Action Taken) नोट कर लिया जाए ।**
राकृवि / बोम–59 / 2005–1 / 962	कुलपति द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि कुलपति द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की पुष्टि कर दी जाए ।**
राकृवि / बोम–59 / 2005–1 / 963	राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(2) कार्मिक / क–2 / 88 दिनांक 22.1.1997 के अनुसार राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में शैक्षणिक व अशैक्षणिक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण के नियम लागू करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि शैक्षणिक पदों के संदर्भ में प्रावधान हेतु राज्यसरकार को निवेदन किया जाए । गैर शैक्षणिक पदों के संदर्भ में अशैक्षणिक पदों में सीधी भर्ती नियम 1998, नियम 15 में राज्यसरकार की अधिसूचना के अनुसार संशोधन कर समावेश किया जाए । यह प्रावधान**

	विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी करने की दिनॉक से प्रभावी होगा ।
राकृवि / बोम–59 / 2005–1 / 964	कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर आपरेटर व डेटा एन्ट्री आपरेटर पदों की भर्ती परीक्षा सन् 1999 में ली थी उसके बारे में विचारार्थ । **प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात पारित (Resolved) किया गया कि परीक्षा को निरस्त समझा जाए ।**
राकृवि / बोम–59 / 2005–1 / 965	महामहिम राज्यपाल एवंम् कुलाधिपति द्वारा डा. ज्ञान चन्द गहलोत, सहायक प्राचार्य, पशु चिकित्सा एवंम् पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के दण्ड को यथावत रखने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि नोट कर लिया जाए ।**
राकृवि / बोम–59 / 2005–1 / 966	कृषि अनुसंधान केन्द्र दूर्गापुरा की भूमि पर सडक निर्माण बाबत । **प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात पारित (Resolved) किया गया कि फिलहाल प्रस्ताव से असहमती दी जाती हैं । विश्वविद्यालय सम्पूर्ण तथ्यों के साथ राज्यसरकार को वस्तु स्थिति से अवगत कराए ।**
राकृवि / बोम–59 / 2005–1 / 967	श्री हरि शंकर शर्मा सेवा निवृत प्रकरण में उच्च न्यायालय के निर्णय को कियान्वित बाबत । **विस्तृत विचार विमर्श पश्चात पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय के एक और विधि सलाहकार की राय इस संदर्भ में ली जा कर राय के अनुसार कार्यवाही की जाए ।**

राकृवि / बोम–59 / 2005–1 / 968	श्री मुकेश शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांव द्वारा श्रीमति कौशल्या देवी आकस्मिक श्रमिक (Ex-cadre) से नशे की हालत में अशोभनीय व्यवहार किये जाने पर उन्हें निलम्बन एवंम् बहाल किये जाने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि नोट कर लिया जाए ।**
राकृवि / बोम–59 / 2005–1 / 969	शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनांक 20.01.2005 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत। **पारित (Resolved) किया गया कि कार्यवाही विवरण की पुष्टि कर दी जाए ।**
राकृवि / बोम–59 / 2005–1 / 970	अन्य कोई प्रकरण होतो माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति होने पर विचार करने बाबत । 1. **माननीय सदस्य श्री मनोहरलाल बिश्नाई ने प्रस्तावित किया कि :–** **(अ) विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरा जाए** **विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् पारित (Resolved) किया गया कि जिन रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति राज्यसरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं उनके संदर्भ में राज्यसरकार को पुनः निवेदन किया जाए ।** **(ब) खाजूवाला में कृषि विज्ञान केन्द की स्थापना की जाए ।** **आसन ने अवगत कराया कि कृषि विज्ञान केन्द भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खोले जाते हैं । वर्तमान में एक जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द खोलने की नीति हैं। बीकानेर जिले हेतु बीकानेर में पूर्व से ही**

	कृषि विज्ञान केन्द कार्यरत हैं। इस चर्चा के साथ इस प्रस्ताव पर फिलहाल चर्चा इसी अनुरूप समाप्त मान ली गई।
	2. माननीय सदस्य श्री विक्रम आदित्य आहूजा ने प्रस्तावित किया कि महाराजा श्री गंगासिंह के इस क्षेत्र के विकास हेतु योगदान को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित हैं कि कृषि विश्वविद्यालय के किसी एक महाविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर किया जाए ।
	विस्तृत विचार विमर्श पश्चात पारित **(Resolved)** किया गया कि यह राज्य **(State)** का विषय हैं इस हेतु राज्यसरकार को निवेदन किया जाए ।
	3. डा0 पी.सी.जैन, अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर ने महाविद्यालय की प्रगति पर प्रकाश डाला। कृषि क्षेत्र की नवीन प्रवृत्तियों के बारे में अवगत कराया ।
	4. श्री गोरधन सिंह, निदेशक प्रसार शिक्षा ने प्रसार निदेशालय की गतिविधियों की प्रगति पर प्रकाश डाला ।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(एम0 डी0 देथा)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव

(परमात्मा सिंह)
कुलपति एवम् अध्यक्ष